न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– कैलाश चन्द्र शर्मा
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
44 / 2016 / प्रा.पत्र / 2016	29.04.2016	07.06.2019

सत्यनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक
..... प्रार्थी

बनाम

1–खाध कारोबारकर्ता श्री भागचन्द जैन पुत्र नारायण जैन जाति महाजन निवासी जैन मोहल्ला ककोड तहसील उनियारा जिला टोंक मैसर्स भूपेन्द्र किराणा स्टोर जैन मोहल्ला ककोड तहसील उनियारा जिला टोंक
2– मैसर्स भूपेन्द्र किराणा स्टोर जैन मोहल्ला ककोड तहसील उनियारा जिला टोंक
3–श्री नन्दलाल जैन प्रोपराइटर मैसर्स नन्दलाल भागचन्द जैन संधी बडा कुआँ टोक जिला टोंक
4– मैसर्स नन्दलाल भागचन्द जैन संधी बडा कुआँ टोक जिला टोंक
5–श्री धनश्याम मौर्य नॉमिनी मैसर्स गोयल प्रोटीन्स मिलिटेड कसार एन.एच–12 कोटा
6– मैसर्स गोयल प्रोटीन्स मिलिटेड कसार एन.एच–12 कोटा

..... अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 52 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित–
1–प्रार्थी की ओर से श्री सत्यनारायण गूर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।
2–अप्रार्थीगण की और से श्री आशीष कुमार मिश्रा प्रतिनिधि उपस्थित

:–निर्णय–: दिनांक 07.06.2019

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनाक 11.12.2015 को समय 12.00 पी.एम. पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स भूपेन्द्र किराणा स्टोर जैन मोहल्ला ककोड तहसील उनियारा जिला टोंक पर पहुंचां। वहा खाध कारोबारकर्ता एंव विकेता. की हैसियत से भागचन्द जैन पुत्र नारायण जैन जाति महाजन निवासी जैन मोहल्ला ककोड तहसील उनियारा जिला टोंक मैसर्स भूपेन्द्र किराणा स्टोर जैन मोहल्ला ककोड तहसील उनियारा जिला टोंक खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का मालिक. होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र नही होना स्वीकार किया।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विकय हेतु दुकान मे रिफाइंड सोयाबीन तेल दीप ज्योति मूल पैक **(Refined Soyabean Oil Deep Jyoti Original pack)** जिसके बैच नं. 17 एन 08 एंव पैकिंग दिनांक 05.08.2015 थी रखा हुआ था, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर. एफ.बी.ओ. श्री भागचन्द जैन को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना कय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विकेता भागचन्द जैन एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

आवेदक द्वारा दुकान में रिफाइंड सोयाबीन तेल दीप ज्योति मूल पैक **(Refined Soyabean Oil Deep Jyoti Original pack)** की 500 मिली पैक की लगभग 30 बोतल पैक्ड अवस्था मे से 500 मिली पैक के चार मूल बोतल का चयन किया वास्ते आम जनता को विकय हेतु रखे हुये मे से रिफाइंड सोयाबीन तेल दीप ज्योति मूल पैक **(Refined Soyabean Oil Deep Jyoti Original pack)** वास्ते नमूना

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

Scanned by CamScanner

जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत एफ.बी.ओ. श्री भागचन्द जैन को रू0 160/–अक्षरे एक सौ साठ रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विकेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा रिफाइंड सोयाबीन तेल दीप ज्योति मूल पैक **(Refined Soyabean Oil Deep Jyoti Original pack)** 500–500 मिली पैक के 4 सील पैक प्लास्टिक बोतलो को बराबर–बराबर अलग–अलग चार भाग तैयार कर लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.कोड एवं कमांक I–1237 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विकेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारो नमूना भागो को अलग–अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I–1237 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर एफ.बी. ओ. भागचन्द जैन के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की। खाध पदार्थ का नमूना क्रय करते समय श्री भागचन्द जैन ने मौके पर कोई बिल पेश ना कर दिनांक 15.12.2015 को कार्यालय मे व्यक्तिशः उपस्थित होकर रिफाइंड सोयाबीन तेल दीप ज्योति मूल पैक **(Refined Soyabean Oil Deep Jyoti Original pack)** बतोर वारन्टी मैसर्स नन्दलाल भागचन्द जैन संधी बडा कुऑ टोक जिला टोंक का बिल कमांक/इन्वॉइस नं. 965 दिनांक 10.12.2015 प्रस्तुत कर रिफाइंड सोयाबीन तेल दीप ज्योति मूल पैक कय करना बताया। मैसर्स नन्दलाल भागचन्द जैन संधी बडा कुऑ टोक जिला टोंक के व्यवहारी ने मैसर्स गोयल प्रोटीन्स लिमिटेड कसार एन.एच.–12 कोटा राज0 का खरीद बिल कमांक/इन्वॉइस नं. 015–14333 दिनांक 02.12.2015 की छायाप्रति प्रस्तुत कर उक्त खाध पदार्थ रिफाइड सोयाबीन तेल दीप ज्योति मूल पैक कय करना बताया।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक अजमेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र कमांक एफ.एस.एस.ए./16/991 दिनांक 01.03.2016 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/1025/एक्ट/2015/42 दिनांक 12.01.2016 के अनुसार भागचन्द जैन से वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया रिफाइंड सोयाबीन तेल दीप ज्योति मूल पैक **(Refined Soyabean Oil Deep Jyoti Original pack)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के अनुसार **मिथ्याछाप (Mis-branded)** का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा **मिथ्याछाप (Mis-branded)** स्तर का रिफाइंड सोयाबीन तेल दीप ज्योति मूल पैक **(Refined Soyabean Oil Deep Jyoti Original pack)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 2 **(ii)** का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 (सहपठित धारा 49) में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की और से उनके प्रतिनिधि ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रकरण में सरकार की और से खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थीगण की और से उनके प्रतिनिधि की बहस सुनी गई।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस खाद्य पदार्थ रिफाइंड सोयाबीन तेल दीप ज्योति मूल पैक **(Refined Soyabean Oil Deep Jyoti Original pack)** का विक्रय कर रहा था वह खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/1025/एक्ट/2015/42 दिनांक 12.01.2016 अनुसार **मिथ्याछाप** (Mis-branded) का होना पाया गया। अतः अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

833

Scanned by CamScanner

अप्रार्थीगण की और से उनके प्रतिनिधि ने दौराने बहस जवाब प्रार्थना पत्र पेश करते हुए अनुरोध किया कि उपरोक्त नमूना श्री भागचन्द जैन मैसर्स भूपेन्द्र किराणा स्टोर जैन मोहल्ला ककोड तहसील उनियारा जिला टोंक से लिया गया है। नमूना परीक्षण के लिए दिनांक 14.12.2015 को लोक स्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर राज0 को भेजा गया था। लोक स्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर की परीक्षण रिपोर्ट दिनांक 12.01.2016 को प्राप्त हुई जिसके अनुसार हमारे नमूने को उप–मानक के रूप मे नही बताया गया लेकिन परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार नमूना के लेबल पर **Representative Sample Tested in Competent laboratory and Certified Unadulterated** अंकित होने के वजह से मिस ब्रांड प्रमाणित किया गया था? प्रकरण के संबंध मे कथन है कि **Representative Sample Tested in Competent laboratory and Certified Unadulterated** जिसके आधार पर हमारे नमूने को मिस ब्रांड कहा गया था वह कथन **The Food Adulteration Act and Rules 1954** के अन्तर्गत ही था। यह अधिनियम **The Food Safety and Standred Act 2006** से पहले चलन मे था। अधिनियम 1954 के अन्तर्गत इस कथन के संबंध मे कई कोर्ट केस दर्ज हुये जिसमे से निर्णय दिनांक 23.02.2017 जो माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली द्वारा पारित किया गया है उसमे खाद्य निरीक्षक द्वारा लगाये गई प्रार्थना पत्र को यह कहकर खारिज किया कि यह कथन **Representative Sample Tested in Competent laboratory and Certified Unadulterated** अधिनियम **The Food Adulteration Act and Rules 1954** के अन्तर्गत कही भी निषिद्व नही किया गया है, परन्तु जब हमारे 2 नमूने खाद्य निरीक्षक द्वारा ले लिये गये और उनको उसी कथन के लिये मिस ब्रांण्ड कहा गया तो हमने हमारे लेबल से हटा लिया गया। अतः प्रार्थी के आरोपो से मुक्त किया जाकर प्रकरण निरस्त किया जावे अथवा विकल्प में शून्य जुर्माना लगाया जाकर प्रकरण को ड्रोप फरमाया जावे। अप्रार्थीगण के प्रतिनिधि ने अपने तथ्यों की पुष्टि में न्यायिक दृष्टांत मा. उच्च न्यायालय दिल्ली का निर्णय दिनांक 23.02.2017 कि प्रति एवं अपने लेबल का प्रारूप पेश किया गया।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया रिफाइंड सोयाबीन तेल दीप ज्योति मूल पैक **(Refined Soyabean Oil Deep Jyoti Original pack)** का नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Mis-branded)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 (सहपठित धारा 49) के तहत अप्रार्थी श्री धनश्याम मौर्य नॉमिनी मैसर्स गोयल प्रोटीन्स मिलिटेड कसार एन.एच–12 कोटा पर शास्ती 11,000/– (अक्षरे ग्यारह हजार रू0) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 07.06.2019 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 07.06.2019 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
न्याअतिरिक्त जिलामजिस्ट्रेट
अतिरिक्त जि[redacted]मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0

Scanned by CamScanner